संख्या-47/2024/291जे०/22-5-24-300(94)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2024**

विषय- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अनिल राठी पुत्र श्री बाबूराम के उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की स्वीकृति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-8030/सामा-1(3)/58/बं0चि0धना0-अनिल24, दिनांक 21-03-2024 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-32/2024/201जे0/22-5-24-300(94)/2017, दिनांक 28-03-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अनिल राठी पुत्र श्री बाबूराम के उपचार हेतु स्वीकृत धनराशि रू० 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-11284/सामा-1(3)/बं0चि0धना0-अनिल/24, दिनांक 26-04-2024 में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत बंदी को सक्षम न्यायालय के आदेशानुपालन में दिनांक 22-03-2024 को कारागार से रिहा कर दिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध रहे विचाराधीन बंदी अनिल राठी पुत्र श्री बाबूराम के उपचार हेतु धनराशि रू० 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-32/2024/201जे0/22-5-24-300(94)/2017, दिनांक 28-03-2024 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:47/2024/291जे0(1)/22-5-24, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
3- मुख्य कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।